in each State and Union Territory still without a source of safe drinking water and the total estimated population of such villages; and

(c) the details of the action plan, if any, drawn out for implementation under the Ninth Plan for providing safe drinking water to each such village/habitation?

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI K. YERRANNAIDU): (a) As per 1991 Census, there were 5.87 lakh villages in the country. Against the target of providing safe drinking water facilities to 315,714 villages/habitations during the 8th Five Year Plan, the actual achievement was coverage of 339,705 villages/ habitations.

(b) The State-wise details of the non covered habitations are in the statement (see below). The total estimated population of such habitations as on 1.4.97 was 205.54 lakh.

(c) The State Governments have prepared action plans for providing safe drinking water to the non covered habitations by 1998-99 with some spill over in difficult areas to be covered by the year 2000 AD.

Statement

S.No.	State/UTs	Position of Not covered habitations as on 31.10.97
1.	Andhra Pradesh	198
2.	Arunachal Pradesh	838
3.	Assam	9603
4.	Bihar	3663
5.	Goa	36
6.	Gujarat	1575
7.	Haryana	45
8.	Himachal Pradesh	4835
9.	Jammu & Kashmir	3063
10.	Karnataka	2304
11.	Kerala	1145
12.	Madhya Pradesh	0
13.	Maharashtra	0
14.	Manipur	368
15.	Meghalaya	1201
16.	Mizoram	54
17.	Nagaland	464
18.	Orissa	2870
19.	Punjab	6229
20.	Rajasthan	9784
21.	Sikkim	0
22.	Tamil Nadu	0
23.	Tripura	969
24.	Uttar Pradesh	0
25.	West Bengal	767
26.	A&N Islands	11
27.	Dadra Nagar Haveli	128
28.	Daman & Diu	0
29.	Delhi	0
30.	Lakashadweep	0
31.	Pondicherry	0
	TOTAL:	50150

धर्मार्थ अथवा स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता से चल रही ग्रामीण विकास योजनाएं

872. **श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला:**
श्री अजीत जोगी:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) धर्मार्थ अथवा स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता से चल रही ग्रामीण विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है,

(ख) ऐसी योजनाओं के लिये किए गए वार्षिक बजट प्रावधानों का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन पर वास्तव में खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं की निगरानी और समुचित कार्यान्वयन के लिये अपनाई गई विधि का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजरापू येरन्नायडु): (क) लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कपार्ट), जो इस मंत्रालय के तत्वावधान में एक स्वायत्त संगठन है, निम्नलिखित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए सोसाइटिज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 अथवा तदनुरूपी राज्य अधिनियम अथवा भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत पंजीकृत न्यास अथवा धर्मार्थ और धार्मिक न्यास अधिनियम, 1920 के अन्तर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है:–

(1) जन सहयोग

(2) लाभार्थियों का संगठन

(3) ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास योजना

(4) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम

(5) केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

(6) जवाहर रोजगार योजना

(7) इन्दिरा आवास योजना

(8) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

(9) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास योजना

(10) पंचायती राज कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण

(11) दस लाख कुओं की योजना

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के अन्तर्गत बंजरभूमि विकास विभाग भी "गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान/समर्थन" योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों की सहायता प्रदान करता है।

(ख) कपार्ट के जरिए इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए गत तीन वर्षों (अर्थात् 1994-95, 1995-96 और 1996-97) के दौरान उपर्युक्त योजनाओं के अन्तर्गत किए गए बजट प्रावधानों और कपार्ट द्वारा वास्तव में किए गए खर्च का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	योजनाएं	बजट			खर्च		
		94-95	95-96	96-97	94-95	95-96	96-97
1.	पी सी	9.50	10.00	10.00	7.65	4.82	5.63
2.	ओ बी	2.50	3.50	3.50	1.76	0.79	2.36
3.	एआरटीएस	12.00	12.00	12.00	8.89	9.07	7.27
4.	एआर डब्ल्यूएसपी	20.00	20.00	15.00	13.65	6.21	3.27
5.	सीआरएसपी	12.00	12.00	9.00	6.62	6.16	8.27
6.	जेआर वाई	12.00	12.00	5.00	7.31	27.40	2.97
7.	आईए. वाई	–	0.01	10.00	–	–	8.79
8.	आईआरडीपी	1.50	1.50	1.50	1.63	0.88	0.86
9.	डवाकरा	3.00	3.00	3.00	2.03	1.55	2.79
10.	पी आर	–	1.00	0.50	–	0.22	0.15
11.	एम डब्ल्यू एस	–	–	1.00	–	–	–
	कुल	72.50	75.01	70.50	49.54	57.10	42.36

गत तीन वर्षों (अर्थात् 1994-95, 1995-96 और 1996-97) के दौरान बंजरभूमि विकास विभाग की योजना के अन्तर्गत किए गए बजट प्रावधान और खर्च का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	योजनाएं	बजट			खर्च		
		94-95	95-96	96-97	94-95	95-96	96-97
1.	गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान / सहायता	3.00	3.00	3.50	3.00	3.40	3.50

(ग) इन योजनाओं की निगरानी और उचित कार्यान्वयन के लिए अपनाई गई प्रणाली के अनुसार स्वैच्छिक संगठनों को परियोजनाओं की संस्वीकृति सामान्यतया क्षमता के वित्त पोषण पूर्व मूल्यांकन के बाद की जाती है। ये मूल्यांकन कपार्ट के अधिकारियों और बाह्य परियोजना मूल्यांकनकर्ता दोनों द्वारा किये जाते हैं। स्वीकृति आदेश जारी करने के बाद संगठनों को निधियों की पहली किस्त प्रदत्त अनुदान को अधिशासित करने वाली शर्तों के निष्पादन के बाद जारी की जाती है। अगली धनराशियां प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने और वास्तविक रूप में किए गए कार्य का मध्यवर्ती मूल्यांकन करने के बाद जारी की जाती हैं। लम्बी परियोजना अवधि वाली बड़ी परियोजनओं को उनके आकार और प्रकृति के आधार पर एक से अधिक बार निगरानी की जाती है। स्वैच्छिक संगठनों से समय-समय पर कपार्ट को प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है और परियोजना के पूरा होने पर मिलने वाले लाभ, लेखाओं के लेखा-परीक्षित विवरण और उपलब्ध कराए गए अनुदान का उपयोग प्रमाण-पत्र आदि का ब्यौरा देते हुए उनसे कार्य पूरा होने की रिपोर्ट उपलब्ध कराने की भी अपेक्षा की जाती है। इन दस्तावेजों की उचित जांच के बाद परियोजना की उपलब्धियों को रिकार्ड करने के लिए उत्तर-मूल्यांकन कराया जाता है।

"गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान/समर्थन" योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त/समर्पित स्वैच्छिक संगठनों के कार्य निष्पादन का समय-समय पर नियुक्त स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं से मूल्यांकन कराया जाता है।

Scheme for development of Agriculture Produce Marketing Committees

873. SHRI BRAHMAKUMAR BHATT:
SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL:

Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether any proposal has been received from the Gujarat Government for revival of Central Sponsored scheme for development of Agriculture Produce Marketing Committees;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the proposal has been accepted by Government;

(d) if so, the steps taken so far; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI K. YERRANNAIDU): (a) No, Sir.

(b) to (e) Question does not arise.

Computerisation of Land Records

874. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government have launched a scheme for computerisation of Land Records and strenthening of Revenue Administration;

(b) whether updating of land records is also being done in different States;

(c) the progress made in this regard so far, State-wise;

(d) the targets fixed for the same during the Ninth Plan period; and

(e) the funds released by Government during 1996-97 and 1997-98 for this purpose, particularly for the North Eastern States?

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI K. YERRANNAIDU): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) State-wise progress showing the total funds released since inception of the scheme till 1996-97 under the Centrally Sponsored Scheme of Strengthening of Revenue Administration and Updating of Land Records (SRA & ULR) and Computerisation of Land Records (CLR) is enclosed in the statement (*See* below)

(d) The Ninth Plan target is to computerise the land records including cadastral maps in the entire country under the Centrally Sponsored Scheme on Computerisation of Land Records, and thereby generating better services in the field of revenue administration and land management.

(e) In 1996-97, Rs. 26.50 lakhs and Rs. 25.50 lakh were released to Mizoram and Tripura respectively under SRA & ULR and Rs. 80 lakh, Rs. 125 lakh, Rs. 60 lakh and Rs. 15 lakh were released to Assam, Manipur, Mizoram and Tripura respectively under CLR, In 1997-98, Rs. 97.50 lakh have been released to Assam under CLR so far.